

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 263/2020

दायर दिनांक 28.09.2020

वादी

1. मोटाराम पुत्र लालाराम जाति जाट निवासी सुद्रासन तहसील डीडवाना, जिला नागौर राज0।

प्रतिवादीगण

1. महेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 भुराराम
2. सांवरमल पुत्र स्व0 भुराराम
3. भंवरी देवी पत्नी स्व0 भुराराम
4. विमला देवी पत्नी मनफुलसिंह
5. राजेश कुमार पुत्र स्व0 मनफुलसिंह
6. सरिता चौधरी पुत्री स्व0 मनफुलसिंह
7. हीराराम पुत्र बोदुराम समरत जाति जाट निवासीगण सुद्रासन तह0 डीडवाना
8. चांदमल पुत्र स्व0 दुर्गाराम उर्फ दुर्गालाल
9. हीरालाल पुत्र स्व0 दुर्गाराम उर्फ दुर्गालाल
10. लालचन्द पुत्र स्व0 दुर्गाराम उर्फ दुर्गालाल
11. महावीर पुत्र स्व0 दुर्गाराम उर्फ दुर्गालाल
12. किशन पुत्री स्व0 दुर्गाराम उर्फ दुर्गालाल
13. धनवंती पुत्री स्व0 दुर्गाराम उर्फ दुर्गालाल
14. नानी पुत्री स्व0 दुर्गाराम उर्फ दुर्गालाल
15. गीतादेवी पत्नी स्व0 दुर्गाराम उर्फ दुर्गालाल
16. दीनदयाल सैन पुत्र स्व0 रामूराम
17. भौमाराम सैन पुत्र स्व0 रामूराम
18. अनीता कुमारी सैन पुत्री स्व0 रामूराम नाबा0 संरक्षक माता गणपतिदेवी
19. गणपतिदेवी पत्नी स्व0 रामूराम समस्त जाति नाई निवासीगण सुद्रासन
20. शाखा प्रबन्धक, यूको बैंक शाखा बेरी छोटी
21. शाखा प्रबन्धक, सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा डीडवाना
22. तहसीलदार डीडवाना।

बनाम्

दावा बाबत

बंटवाड़ा, घोषणा खातेदारी, व स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा- 53, 188 R.T.Act.

उपस्थित:-

1. श्री पूर्णसिंह बोहरा वकील वादी।
2. श्री रामेश्वर भाकर वकील प्रतिवादीगण।

-:: अंतिम निर्णय ::-

दिनांक 16.04.2025

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि यह है सरहद सुद्रासन पटवार हल्का सुद्रासन भू0अ0नि0 क्षेत्र नुंवा में कृषि भूमि के खसरा सं0 186 रकबा 15 बीघा, खसरा सं0 356 रकबा 04 बिस्वा, खसरा सं0 358 रकबा 15 बीघा बारानी अलीफ इसी प्रकार खसरा सं0 392 रकबा 15 बीघा 12 बिस्वा, खसरा सं0 188 रकबा 08 बीघा 12 बिस्वा, खसरा सं0 357 रकबा 09 बीघा 18 बिस्वा तथा खसरा सं0 687/188 रकबा 08 बीघा 12 बिस्वा बारानी अलीफ की भूमि में वादी व प्रतिवादीगण 1 ता 19 के मध्य खाता प्रस्तावित करने बाबत दिनांक 08.11.2024 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार मौलासर को निर्देश दिया गया।

तहसीलदार मौलासर ने अपने पत्रांक: 332 दिनांक 17.03.2025 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार मौलासर द्वारा प्रस्तावित बंटवारा पर बहस पक्षकारान् सुनी गयी जिसमें पक्षकारान बंटवारा प्रस्तावानुसार विभाजन करवाने हेतु सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार मौलासर सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार मौलासर के द्वारा प्रस्तावित विभाजन जरिये पत्रांक: 332 दिनांक 17.03.2025 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि :-



W/As
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना



--: आदेश :-

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, सरहद सुद्रासन पटवार हल्का सुद्रासन भू0अ0नि0 क्षेत्र नुंवा में कृषि भूमि के खसरा सं0 186 रकबा 15 बीघा, खसरा सं0 356 रकबा 04 बिस्वा, खसरा सं0 358 रकबा 15 बीघा बारानी अलीफ इसी प्रकार खसरा सं0 392 रकबा 15 बीघा 12 बिस्वा, खसरा सं0 188 रकबा 08 बीघा 12 बिस्वा, खसरा सं0 357 रकबा 09 बीघा 18 बिस्वा तथा खसरा सं0 687/188 रकबा 08 बीघा 12 बिस्वा बारानी अलीफ की भूमि का काश्तकार खातेदार घोषित किया जाकर तहसीलदार मौलासर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 332 दिनांक 17.03.2025 में वर्णितानुसार भूमि का, वादीगण व खातेदारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन करने के आदेश दिए जाते हैं।

तहसीलदार मौलासर का विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 332 दिनांक 17.03.2025 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

Neas
 उपखण्ड अधिकारी
 (विकास मोहन भाटी, R.A.S.)
 उपखण्ड अधिकारी
 डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 16.04.2025 को सरे इजलास में सुनाया गया।

Neas
 उपखण्ड अधिकारी
 (विकास मोहन भाटी, R.A.S.)
 उपखण्ड अधिकारी
 डीडवाना

डिक्री बमुकदमें इक्दादाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत:- उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना
बइजलास : विकास मोहन भाटी, R.A.S.
राजस्व वाद संख्या: 263/2020 दायर दिनांक 28.09.2020

वादी

मोटाराम पुत्र लालाराम जाति
जाट निवासी सुद्रासन तहसील
डीडवाना, जिला नागौर राज0।

प्रतिवादीगण

1. महेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 भुराराम
2. सांवरमल पुत्र स्व0 भुराराम
3. भंवरी देवी पत्नी स्व0 भुराराम
4. विमला देवी पत्नी मनफुलसिंह
5. राजेश कुमार पुत्र स्व0 मनफुलसिंह
6. सरिता चौधरी पुत्री स्व0 मनफुलसिंह
7. हीराराम पुत्र बोदुराम समस्त जाति जाट
निवासीगण सुद्रासन तह0 डीडवाना
8. चांदमल पुत्र स्व0 दुर्गाराम उर्फ दुर्गालाल
9. हीरालाल पुत्र स्व0 दुर्गाराम उर्फ दुर्गालाल
10. लालचन्द पुत्र स्व0 दुर्गाराम उर्फ दुर्गालाल
11. महावीर पुत्र स्व0 दुर्गाराम उर्फ दुर्गालाल
12. किशन पुत्री स्व0 दुर्गाराम उर्फ दुर्गालाल
13. धनवंती पुत्री स्व0 दुर्गाराम उर्फ दुर्गालाल
14. नानी पुत्री स्व0 दुर्गाराम उर्फ दुर्गालाल
15. गीतादेवी पत्नी स्व0 दुर्गाराम उर्फ दुर्गालाल
16. दीनदयाल सैन पुत्र स्व0 रामूराम
17. भौमाराम सैन पुत्र स्व0 रामूराम
18. अनीता कुमारी सैन पुत्री स्व0 रामूराम
नाबा0 संरक्षक माता गणपतिदेवी
19. गणपतिदेवी पत्नी स्व0 रामूराम समस्त
जाति नाई निवासीगण सुद्रासन
20. शाखा प्रबन्धक, यूको बैंक शाखा बेरी छोटी
21. शाखा प्रबन्धक, सहकारी भूमि विकास बैंक
शाखा डीडवाना
22. तहसीलदार डीडवाना।

बनाम्

दावा बाबत

बंटवाड़ा, घोषणा खातेदारी, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा- 53, 188 R.T.Act.

दिनांक 16.04.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई पूर्णसिंह बोहरा वकील वादी एवं श्री रामेश्वरलाल भाकर वकील प्रतिवादीगण की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व दावा डिक्री सादिर कर, सरहद सुद्रासन पटवार हल्का सुद्रासन भू0अ0नि0 क्षेत्र नुंवा में कृषि भूमि के खसरा सं0 186 रकबा 15 बीघा, खसरा सं0 356 रकबा 04 बिस्वा, खसरा सं0 358 रकबा 15 बीघा वारानी अलीफ इसी प्रकार खसरा सं0 392 रकबा 15 बीघा 12 बिस्वा, खसरा सं0 188 रकबा 08 बीघा 12 बिस्वा, खसरा सं0 357 रकबा 09 बीघा 18 बिस्वा तथा खसरा सं0 687/188 रकबा 08 बीघा 12 बिस्वा वारानी अलीफ की भूमि का काश्तकार खातेदार घोषित किया जाकर तहसीलदार मौलासर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 332 दिनांक 17.03.2025 में वर्णितानुसार भूमि का, वादीगण व खातेदारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन करने के आदेश दिए जाते हैं।

तहसीलदार छोटीखाटू का विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 332 दिनांक 17.03.2025 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त हो। डिक्री जारी हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिंक	—	—	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिंक		
मिजान			मिजान		

इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

WKS
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना